परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ ।

संख्या–6195एलएएस/2010 दिनांक : दिसम्बर : 31 2010

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।
2–समस्त स0क्षे0प्र0(का0)/सहायक विधि अधिकारी,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–निगम बस के बीमित होने पर भी प्रतिकर का दायित्व निगम पर अधिरोपित करने के सम्बन्ध में ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिन प्रकरणों में दुर्घटना ऐसी निगम बसों से होती है, जो बीमित हैं, उनमें दुर्घटना एवं प्रतिकर के भुगतान का दायित्व परिवहन निगम पर इसलिए डाला जाता है क्योंकि निगम द्वारा साक्ष्य के रूप में बस के बीमित होने का प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है। उक्त के परिणामस्वरूप प्रायः निगम को लाखों रूपये का भुगतान प्रतिकर के रूप में अनावश्यक रूप से करना पड़ता है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में यदि किसी बीमित बस से दुर्घटना होने के परिणामस्वरूप वाद योजित होता है तो न्यायालय के समक्ष बस के बीमित होने के सभी प्रमाण दाखिल किये जांय तथा सुदृढ़ पैरवी कर यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में प्रतिकर के भुगतान का दायित्व निगम पर न अधिरोपित किया जाय।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय तथा भविष्य में यदि किसी भी बीमित बस के प्रकरण में प्रतिकर के भुगतान का दायित्व निगम पर डाला जाता है तो सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियों/उपाधिरियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व दंण्डात्मक अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(नरेन्द्र भूषण)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com